

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपरिथत इन्द्रज उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अतः इन्द्रज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने प्रार्थीगण ने प्रार्थना की हैं तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्रज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्रज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्रज			स्वीकृत किये गया इन्द्रज				
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खसरा का नाम	खसरा संख्या	रकबा
(डा)कोदा	83	जोसा पुत्र उमा श्री. वदराम	457 किला 6	3/19 5-03	जोसा पुत्र उमा श्री. वदराम	457 किला 6	3/19 5-03

क्रमांक :-

702

29.10.21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर